भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4445

जिसका उत्तर गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है

कानूनों और अधिनियमों के हिंदी नाम

4445 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अधिनियमित कानूनों के हिंदी नामकरण के कारण गैर-हिंदी भाषी राज्यों में विधि से जुड़े लोगों और वादियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया है ;

(ख) क्या मंत्रालय के विधायी परामर्शदाताओं ने हिंदी नामों के उपयोग के विरुद्ध कोई मत दिया है ;

(ग) क्या सरकार को कानून निर्माण और कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से गैर-हिंदी भाषी नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों तथा उन्हें बाहर रखे जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) क्या सरकार न्यायपालिका सहित संबंधित हितधारकों द्वारा हिंदी नामों के थोपे जाने के विरुद्ध की गई टिप्पणियों से अवगत है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : किसी विधान के संक्षिप्त नाम पर विनिश्चय करने के विधायी प्रस्ताव के विषयवस्तु का प्रशासन करना सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग का परमाधिकार है। विषयवस्तु से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग सामान्यतः समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों के साथ अपने विधायी प्रस्ताव पर पूर्व-विधायी परामर्श करता है और अपनी नीति और प्राप्त इनपुट, सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस संबंध में उचित विनिश्चय करता है।

****